भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं 843**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 6 फरवरी 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

ओडिशा में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना का आधुनिकीकरण

843 श्री शुभाशीष खुंटिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के पुरी जैसे तटीय जिलों में समुद्री उत्पादों के लिए कोल्ड चेन की कमियों, पैकेजिंग अवसंरचना क्या पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन प्रणालियों सहित खाद्य प्रसंस्करण एवं शून्यवर्धन सुविधाओं मूल्यवर्धन सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन में सुधार करने तथा बाजार और निर्यात तत्परता को बढ़ाने हेतु उठाए गए या प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ओडिशा से समुद्री खाद्य केंद्रित प्रसंस्करण पार्क, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र या एकीकृत मूल्य- शृंखला केंद्र स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), वाणिज्य विभाग के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जो भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समुद्री उत्पाद निर्यातकों, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों और हैण्डलिंग केंद्रों के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। एमपीईडीए नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित करता है और पंजीकृत संस्थाओं की निगरानी करता है ताकि समुद्री उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया जा सके, साथ ही कोल्ड चेन प्रबंधन, पैकेजिंग अवसंरचना और फसलोपरांत प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन किया जा सके। ओडिशा में, एमपीईडीए ने 62 समुद्री खाद्य निर्यातकों, 45 निर्यात-उन्मुख प्रसंस्करण संयंत्रों को पंजीकृत किया है जिनकी कुल

प्रसंस्करण क्षमता 2318.12 मीट्रिक टन/दिन है, और 50 कोल्ड स्टोरेज को पंजीकृत किया है जिनकी क्षमता 52,286 मीट्रिक टन है। ओडिशा में एमपीईडीए के साथ पंजीकृत प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज की जिला-वार संख्या निम्नवत है:

ज़िला	प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या	कोल्ड स्टोरेज की संख्या
बालासोर	13	15
खोरधा	21	24
जगतसिंहपुर	3	3
भद्रक	2	2
पुरी	3	2
कटक	1	2
नयागढ़	2	2

समुद्री उत्पादों के मूल्यवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए, एमपीईडीए विशिष्ट मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास (टीडीएसवीएमपी) योजना का क्रियान्वयन कर रहा है जो पैकेजिंग प्रणालियों, शीत भंडारण सुविधाओं, जीवित, चिल्लड और सूखी मछली प्रबंधन केंद्रों, पूर्व-प्रसंस्करण इकाइयों, शोधन केंद्रों, सजावटी मछली इकाइयों आदि सहित प्रक्रिया स्वचालन जैसी अवसंरचना की स्थापना और उन्नयन तथा नए मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के विकास में सहायता प्रदान करती है। ये योजनाएं राज्य-विशिष्ट नहीं हैं और निर्यातकों द्वारा नई इकाइयां स्थापित करने या मूल्य संवर्धन के लिए मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और मूल्य वर्धित उत्पादन में विविधता लाने के लिए इनका लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें ओडिशा राज्य के निर्यातक भी शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान, एमपीईडीए ने ओडिशा सहित तटीय राज्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता जारी की है, जिसका विवरण निम्नवत है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)
2021-22	20	2936.09
2022-23	8	1595.46
2023-24	9	906.7
2024-25	15	2796.07
2025-26	37	3576.29
कुल	**89**	**11810.61**

उपरोक्त में ओडिशा राज्य के 9 लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान समुद्री खाद्य मूल्यवर्धन से संबंधित अवसंरचना विकास के लिए ₹967.69 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

इसके अतिरिक्त, मूल्यवर्धन और स्वच्छता संबंधी परिपाटियों को सुदृढ़ करने के लिए, एमपीईडीए ने व्यापक क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए हैं। पिछले पांच वर्षों में, ओडिशा सहित तटीय राज्यों में 114 व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे 5,155 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण श्रमिकों को लाभ हुआ है। इन कार्यक्रमों में वैश्विक मानकों के अनुरूप उच्च मांग वाले मूल्यवर्धित उत्पादों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

ओडिशा के डेरास में 152 एकड़ भूमि पर एक सीफूड पार्क है, जहां 15 निर्यातकों ने भूखंड प्राप्त किए हैं। वर्तमान में, ओडिशा राज्य से सीफूड पर केंद्रित नए प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****